



# जालौन पुलिस



Meticulous **Investigation & Prosecution**

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त आबुदीन पुत्र शौकीन खाँ नि0 ववेडी ग्वालियर रोड भिण्ड थाना व जनपद भिण्ड द्वारा समाज विरोधी क्रिया कलाप में संलिप्त होकर आमजनमानस को डरा धमकाकर अपने आर्थिक लाभ हेतु भय व दहशत फैलाने के सम्बन्ध में थाना माधौगढ़ में मु0अ0सं0 562/2011 (वाद संख्या- 14/2012) धारा 2/3 गैंगस्टर एकट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त आबुदीन उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये आज दिनांक 19.09.2023 को मा0 न्यायालय एडीजे एफटीसी/जीएसटी कोर्ट उर्ड जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त आबुदीन उपरोक्त को दोषी पाते हुये 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



शिवदास पाण्डेय वि0 लोक  
अभियोजक गैंग0 एकट



कोर्ट पैरोकार सौरभ दुबे